

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

भाषाअपड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित क्रिये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 403963131018120302
Date : 13-10-2018
प्रमाणी : 2 2018-2019

श्री/श्रीमती/सुश्री : RENU DEVI WIO TULSI PRASAD,
गौहल्सा : GANDHI SCHOOL ROAD JHUMRI TELAIYA
KODERMA, 825409.
9801635888

एतन् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0230000622000M0 यार्ड सं. 23 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	101.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		101.00



रेनु देवी

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, www.jharkhandsuda.net पर प्रदर्शित है।
2. निम्नवर्ती बंधित 11.4 के आदेश से सभी जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर समाप्त आयोग जी सम्पत्ति कर का 50% होगा। विवरण 01 जारी है कि, सभी जल संरक्षण संरचना लगा कर विवरण को सुधित करे तथा अधिनियम गृह कर से छूट पावे।
3. सर्वेक्ष विस्तार एवं भी सम्पत्ति कर का अनुदान वैयक्तिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूर्ति कर का अनुदान विस्तार एवं के 30 गुण के पूर्ण कर दिया जाता है, तो स्वयंसेवक को 2% की रिवाइज दी जाएगी।
5. किसी देय पूर्ति को निर्दिष्ट स्वयंसेवक (एक्सेक्यूटिव) के अन्तर्गत या उसके पूर्व नहीं पुनर्स्थापित है, तो 1% प्रतिवर्ष की दर से लाघान स्वयंसेवक देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-पोषणा पर की स्वयंसेवक जांच तथा समय निम्न प्रकार कर सकती है यह सर्वे कराए गए जाने पर निर्धारणकर्ता को 13.2 के अनुसार निर्धारित फाइन (Fine) एवं अंतर रशि देय होगा।
7. JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा स्वनिर्धारित इन सम्पत्ति कर इन इमारतों/घरों को कोई नगरीय विस्तार प्रदान नहीं करता है और/या न ही उनमें अधिनियम 1 अधिनियम को कोई समुदाय अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके गैर-निर्धारण सूची का आधिकारिक जमाक 5/10/2018 है तो यह निर्दिष्ट सारनामों की सूची के अनुसार मात्र होगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print

सेवा में

कार्यपालक पदाधिकारी

शुभरी तिलैया नगर परषद

अ

विषय : नक्शा पास करने के सम्बन्ध में
सहाय्य

मैं मैं अपने मुखण्ड पर गृह निर्माण हेतु नक्शा
जमा कर रही हूँ।

मेरी दखील खतरीज हो गयी है परन्तु गुप्त मौजा का
ऑनलाईन रसीद नहीं करने के कारण मैं रसीद
जमा नहीं कर रही हूँ।

इस पर विचार कर मेरे नक्शा को पास करने की
कृपा कीजिए।

आपकी विश्वासी

पतीका नाम - रेनु देवी

खता नं -

प्लॉट नं -

वार्ड नं -